

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-250001)

पत्रांक 2420 /14-1 दिनांक, मेरठ /0, फरवरी, 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम बागडपुर, तहसील गढमुक्तेश्वर के खसरा संख्या-1643, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 के कि०मी० 92.03 से कि०मी० 92.068 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2544 हे० (Entry Area = 0.0575 ha.+ Exit Area = 0.0669 ha. + Separator island = 0.1300 ha. Total area is 0.2544 ha.) संरक्षित वन भूमि एवं विभिन्न प्रजातियों के 29 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या FP/UP/Approach/139274/2021.

संदर्भ:- 1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/०६/१७९/२०२३/एफ०सी०/१४९, दिनांक 09.01.2025।

2-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 2260/14-1, दिनांक 31.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ ने अपने संदर्भित पत्र से निम्न प्रकार किया है:-

क्र० सं०	शर्तें	अनुपालन आख्या
1	Separator island has to be maintained as Green Belt, in consultation with DFO. Green belt plan on separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific. Green belt plan shall also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road, if applicable. Green plan in respect of Separator island/entry & exit /service road as applicable and duly approved by DFO be submitted along with compliance report.	विषयगत प्रकरण में ग्रीन बेल्ट हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। जो भूमि आवागमन के मध्य स्थित है उसमें पूर्व से ही अधिकाधिक वृक्ष विद्यमान है।
2	Green plan duly approved by DFO in respect of Separator island/entry/exit/service road as applicable be submitted and Geo tagged six monthly reports be maintained at retail outlet and be submitted six monthly.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा कर दी गयी है। कैम्पा फण्ड के स्वीकृत होने के उपरान्त वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा निर्गत एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
4	No violation of van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 certificate from concerned DFO needs to be submitted.	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is no in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक /14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।**

**पत्रांक 2260/14-1, दिनांक, हापुड़, 31, जनवरी, 2025**

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त,  
मेरठ

**विषय:-** जनपद हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम बागडपुर, तहसील गढमुक्तेश्वर के खसरा संख्या- 1643, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के किमी0 92.03 से किमी0 92.068 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2544 हे0 (Entry Area= 0.575 ha. + Exit Area=0.0669+ separator island=0.1300 ha, Total area is 0.2544 ha.) संरक्षित वनभूमि एवं विभिन्न प्रजातियों के 29 वृक्षों के पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

**परिवेश 2.0 पोर्टल पर प्रस्ताव सं0- FP/UP/Approach/139274/2021**

**संदर्भ :-** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र सं0- 8बी/यू0पी0/06/179/2023/एफ.सी./149, दिनांक 09.01.2025

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि वांछित आख्या निम्नानुसार तैयार कर प्रेषित की जा रही है :-

Sr.No.	Conditions	वांछित अनुपालन आख्या
1	2	3
1	Separator island has to be maintained as Green Belt, in consultation with DFO. Green belt plan on separator island shall be approved by DFO, ensuring appropriate site specific. Green belt plan shall also include species to be planted on the periphery of retail outlets and service road, if applicable. Green plan in respect of Separator island/entry & exit /service road as applicable and duly approved by DFO be submitted along with compliance report.	विषयगत प्रकरण में ग्रीन बेल्ट हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। जो भूमि आवागमन के मध्य स्थित है उसमें पूर्व से ही अधिकाधिक वृक्ष विद्यमान है।
2	Green plan duly approved by DFO in respect of Separator island/entry/exit/service road as applicable be submitted and Geo tagged six monthly reports be maintained at retail outlet and be submitted six monthly.	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा कर दी गयी है। कैम्पा फण्ड के स्वीकृत होने के उपरान्त वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
4	No violation of van ( Sanrakshan EvamSamvardhan) Adhiniyam, 1980 certificate from concerned DFO needs to be submitted.	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	Certificate of DFO certifying that the proposed RO is no in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.	वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांक : 2260/14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

SUDESH KUMAR

## बिन्दु संख्या- 12

जनपद हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम बागड़पुर, तहसील गढमुक्तेश्वर के खसरा संख्या- 1643, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के किमी0 92.03 से किमी0 92.068 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2544 हे० (Entry Area= 0.575 ha. + Exit Area=0.0669+ separator island=0.1300 ha, Total area is 0.2544 ha.) संरक्षित वनभूमि एवं विभिन्न प्रजातियों के 29 वृक्षों के पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

✓  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
हापुड़ वन प्रभाग,  
हापुड़।

**FORM-1**

(for plantations on non-forest land and notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[(Rule 013) (C) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of **UTTAR PRADESH**  
Office of District Collector **HAPUR**  
No. 4121/14-1.... Dated 22.06.2024

**TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN**

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016) it is certified 0.2544 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of 0.2544 ha of PF land for Diversion of forest land for construction of Petrol Pump at Khara No. 1643(?) of Bagadpur Village of Garhmukteshwar Tehsil in Hapur District of Uttar Pradesh State (LHS of NH-24, Chainage from 92.023 Km to 92.068 Km of NH24) (Purpose for diversion of forest Land) in the District falls within Jurisdiction of **HAPUR District** village(s) Bagadpur having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011.

This is to further certify that:

- (a) The Protected Forest (s) namely HPCL involved in the above villages are plantations raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no (s) 1115/XIV-331-50 Dt. 10-02-1960.
- (b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

Divisional Forest Officer  
Hapur

District Magistrate  
Hapur

## बिन्दु संख्या- 16

जनपद हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम बागड़पुर, तहसील गढमुक्तेश्वर के खसरा संख्या- 1643, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के किमी0 92.03 से किमी0 92.068 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2544 हे0 (Entry Area= 0.575 ha. + Exit Area=0.0669+ separator island=0.1300 ha, Total area is 0.2544 ha.) संरक्षित वनभूमि एवं विभिन्न प्रजातियों के 29 वृक्षों के पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में एम0आ0आर0टी0एच0 गाइडलाईन दिनांक 24.07.2013 का अनुपालन होने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रकरण में एम0आ0आर0टी0एच0 गाइडलाईन दिनांक 24.07.2013 का अनुपालन किया जा रहा है।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
हापुड़ वन प्रभाग,  
हापुड़।